पूर्व मध्य रेल

महाप्रबंधक (परिचालन) का कार्यालय हाजीपुर.

संख्या- ईसीआर/परि.संरक्षा/जे.पी.ओ./46/505,

दिनांक- 13.06.2023

वरीय मण्डल परिचालन प्रबंधक पूर्व मध्य रेल धनबाद, दानापुर, डीडीयू, सोनपुर, समस्तीपुर।

विषय- रेलवे बोर्ड के संयुक्त कार्यविधि आदेश (जे.पी.ओ.) दिनांक 10.06.2023 का हिन्दी संस्करण (एस एंड टी गियर्स के लिए डिस्कनेक्शन/रिकनेक्शन प्रोटोकॉल)।

रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी संयुक्त कार्यविधि आदेश (जे.पी.ओ.) दिनांक 10.06.2023 का हिन्दी संस्करण (एस एंड टी गियर्स के लिए डिस्कनेक्शन/रिक्रनेक्शन प्रोटोकॉल) प्रेषित की जा रही है जिसे सर्व संबंधित को मुहैया तथा इसका अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:-

- 1. निजी सचिव को PCOM महोदय के सूचनार्थ।
- 2. मुख्यालय के सभी अधिकारीगण को सूचुनार्थ।
- 3. प्राचार्य ZRTI/MFP & Bhuli

13/6/23

(राजपति झा) उप मुख्य परिचालन प्रबंधक/सामान्य

हाजीपुर।

S

पूर्व मध्य रेल

रेलवे बोर्ड के संयुक्त कार्यविधि आदेश (जे.पी.ओ.) का हिन्दी संस्करण - एस एंड टी गियर्स के लिए डिस्कनेक्शन/रिकनेक्शन प्रोटोकॉल।

रख-रखाव/मरम्मत या सिगनल की खराबी या अन्यथा ठीक करने के लिए आईआरएसईएम और जीआर के प्रावधानों के तहत एस एंड टी गियर डिस्कनेक्ट/पुनः कनेक्ट किए जाने पर निम्नलिखित निर्देशों का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए।

1. रिले रूम की लॉकिंग व्यवस्था-

- 1.1 रिले रूम को डबल लॉक के साथ प्रदान किया जाना चाहिए और आईआरएसईएम के पैरा 21.2.2 के अनुसार डेटा लॉगर के माध्यम से दरवाजा खोलने की निगरानी की जानी चाहिए। इसमें स्टेशन यार्ड में स्थित सिग्नलिंग गियर के लिए स्टेशन रिले रूम के विस्तार के रूप में प्रदान किए गए सभी रिले रूम, रिले हट्स, गुमटी और केबिन में डबल लॉक का प्रावधान शामिल है।
- 1.2 समपार फाटकों और प्वाइंट/ट्रैक सर्किट सिगनल के स्टेशन सीमा के भीतर सभी समपार फाटक रिले हट्स/गुमटी में डबल लॉकिंग व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- 1.3 स्टेशन यार्ड में गेट गुमटी/केबिन में स्थित S&T उपकरणों को रिले हट के रूप में माना जाना चाहिए।
- 1.4 डबल लॉकिंग की व्यवस्था होने तक रिले हट/गुमटी/केबिन के सिंगल लॉक की चाबी स्टेशन मास्टर (एसएम) के पास होनी चाहिए। स्टेशन रिले रूम की तरह ही स्टेशन मास्टर द्वारा चाभी जारी करने और जमा करने के संबंध में प्रासंगिक प्रविष्टियां रखी जानी चाहिए। एसएम द्वारा इयूटी पर चाबी सौंपने/वापस लेने के लिए प्रोफार्मा में एक कॉलम होगा जिसमें यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि जिस स्थान के लिए रखरखाव कर्मचारियों द्वारा चाबी ली गई थी, उसे ठीक से बंद कर दिया गया है और रखरखाव कर्मचारियों द्वारा ताला लगा दिया गया है।
- 1.5 प्रतिष्ठित मेक/डिजिटल तालें आवश्यकतानुसार प्रदान किया जाना चाहिए।

2. सिगनल उपकरणों का विच्छेदन/पुनः संयोजन

- 2.1 वैध योग्यता प्रमाण पत्र के साथ अधिकृत कर्मियों द्वारा IRSEM और GR में निहित प्रावधानों के अनुसार सिग्नल रखरखाव, मरम्मत/परिवर्तन कार्यों के लिए उचित डिस्कनेक्शन/रिकनेक्शन प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए।
- 2.2 जब रखरखाव और मरम्मत करने के लिए एसएम द्वारा डिस्कनेक्शन की अनुमित दी जाती है, तो यह आईआरएसईएम के पैरा 3.8.4 (बी) के अनुलग्नक: 3-ए10 में निर्धारित उचित डिस्कनेक्शन/रिकनेक्शन नोटिस फॉर्म पर होना चाहिए।

- 2.3 काम पूरा होने के बाद, एक बार स्टेशन मास्टर द्वारा कनेक्शन स्वीकार कर लेने के बाद, मेन-लाइन पर पास होने वाली पहली ट्रेन के साथ निम्नान्सार व्यवहार जाना चाहिए:
- (ए) आगर्मन सिग्नल को आफ नहीं किया जाएगा और पहली ट्रेन को फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पर रोका जाएगा।
- ्(बी) पैनल/वीडीयू पर प्रासंगिक संकेतों को देखकर ट्रेन के बर्थिंग हिस्से पर कब्जा करने के बाद ही ट्रेनों के लिए प्रस्थान संकेत को हटाया जाना चाहिए।
- (सी) ये सभी अप और डाउन दिशा की ट्रेनों के लिए लागू होगा चाहिए।
- (डी) इन निर्देशों का अपवाद उन स्टेशनों के मामले में होगा जहां बढ़ते ढाल या साइट की स्थिति के कारण भार को रोकने से बचने के लिए आगमन और प्रस्थान सिगनल आन स्थिति में रखे जाते हैं। इन ट्रेनों को प्रस्थान सिगनल को चालू रखते हुए प्रतिबंधित गित से यार्ड में प्रवेश करने के लिए कार्यकारी नियमों में आवश्यक निर्देश शामिल किए जा सकते हैं।
- 2.4 रिले रूम में बदलाव का काम ट्रैफिक ब्लॉक/नॉन इंटरलॉकिंग के दौरान ही किया जाना चाहिए।
- 2.5 गियर के डिस्कनेक्शन/रीकनेक्शन की स्थिति को दैनिक आधार पर संयुक्त रूप से सिग्नल कंट्रोल और ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा मंडल नियंत्रण कार्यालय में मिलान किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो डेटा लॉगर से इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।
- 3. ट्रैफिक इंस्पेक्टर और एसएसई/सिंग्नल द्वारा बिना देर किए संयुक्त परामर्श किया जाना चाहिए ताकि नए पैनल योग्यता प्रमाण पत्र जारी करने सहित पैनल/वीडीयू से जुड़े सभी कर्मचारियों को संवेदनशील बनाया जा सके। काउंसलिंग/री-सर्टिफिकेशन अगले 15 दिनों के भीतर पूरा हो जाना चाहिए।
- 4. सीनियर डीएसटीई और सीनियर डीओएम द्वारा मंडल स्तर पर जहां एलसी गेट और प्वाइंट/सिग्नल एक ही रिले हट/गुमटी में हैं वहां रिले हट की सूची जारी की जानी चाहिए और मंडल पर कार्यान्वयन के लिए सभी के संज्ञान में लाई जानी चाहिए। स्थान के किसी भी नए जोड़/विलोपन को वरिष्ठ डीएसटीई द्वारा अद्यतन किया जाएगा और सीनियर डीएसटीई और सीनियर डीओएम द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्र पर्यवेक्षकों के लिए अधिसूचित किया जाएगा।

संख्या- ईसीआर/परि.संरक्षा/जे.पी.ओ./46/505,

दिनांक- 13.06.2023





भारत सरकार Government of India रेल मंत्रालय Ministry of Railways रेलवे बोर्ड (Railway Board)



No.2021/Sig/21/Safety performance

New Delhi, Dt.10.06.2023

The General Manager All Indian Railways, Metro Railway, Kolkata & CORE/Allahabad

Sub: Joint Procedure Order- Disconnection/Reconnection for S&T Gears.

May please find enclosed herewith Joint Procedure Order on Disconnection/Reconnection protocols for S&T Gears signed by AM(Signal) & AM(Traffic) for bringing out the same to the notice of all concerned and implementation over all Zonal Railways.

Encl.: As above.

(रामेश्वर मीना)

कार्यकारी निदेशक/सिगनल

Copy to:

PSOs/Sr. PPSs/PSs to CRB & CEO, MF, MI, MTRS, MO&BD, DG/Safety, Railway Board.

Joint Procedure Order - Disconnection/Reconnection Protocols for S&T Gears

The following instructions should be scrupulously followed when S&T gears are disconnected/reconnected under provisions of IRSEM and GR for maintenance /repairs or attending signal failures or otherwise:

1. Locking arrangement of relay rooms-

- 1.1 Relay room should be provided with double locks and door opening shall be monitored through data logger as per Para 21.2.2 of IRSEM. This includes provision of double locks at all relay rooms, relay huts, goomties & cabins provided as an extension of station relay room for housing signaling gears in station yard.
- 1.2 Double locking arrangement should be provided at all level crossing gate relay huts/ goomties within station limit housing S&T equipments of LC gates and point/track circuit signals.
- 1.3 Gate goomty/cabin housing S&T equipments in station yard should be treated as relay hut.
- 1.4 Till double locking arrangement is provided, key of single lock of relay huts/ goomties/cabins should be with Station Master (SM). The relevant entries regarding issue and deposit of the key should be maintained by SM in the same manner as being done for station relay room. The proforma for handing over / taking back of the key by the ASM on duty shall have a column specifying that the location for which key had been taken by maintenance staff has been properly closed and locked, by the maintenance staff who is returning the key.
- 1.5 Locks of genuine reputed make/ Digital locks should be provided as necessary.

2. <u>Disconnection/reconnection of signaling equipments</u>

- 2.1 Proper disconnection /reconnection protocols should be followed for signal maintenance, repairs / alteration works as per provisions contained in IRSEM and GR by authorized personnel with valid competency certificate.
- 2.2 When disconnection is permitted by SM for undertaking maintenance and repairs, it should be on proper disconnection/reconnection notice form as prescribed in Annexure: 3-A10 of Para 3.8.4(b) of IRSEM.

0/6/2013.

AM/Sip

10/6 AM/7T

- 2.3 After completion of work, once reconnection is accepted by SM, the first train to pass on Main Line should be dealt as under:
 - (a) The reception signal shall not be taken off and the first train shall be brought to stop at the first stop signal.
 - (b) The departure signal for run through trains should be taken off only after the train has occupied berthing portion by seeing the relevant indications on panel/VDU.
 - (c) These should be applicable for all Up & Down direction trains.
 - (d) Exception to these instructions will be in case of stations where reception or reception & departure signals are kept in off position to avoid stalling of loads due to rising gradients or site conditions. Necessary instructions may be incorporated in working rules to admit these trains in to the yard at restricted speed by keeping the departure signals at ON.
- 2.4 Alterations works in relay room should be done during traffic block/non interlocking only.
- 2.5 The status of disconnection/reconnection of gears should be reconciled in Divisional Control office by Signal Control & Traffic Control on daily basis jointly and may be confirmed from the data logger if necessary.
- Immediately, joint counseling by Traffic Inspector and SSE/Signal should be undertaken to sensitize all connected staff with Panel/VDU working including issue of fresh panel competency certificate. The counseling/ re-certifiation should be completed within next 15 days.
- 4. A list of relay huts where LC gate and points/signals are in the same relay hut / goomty should be issued at divisional level by Sr. DSTE & Sr. DOM and brought to the notice of all for implementation on the division. Any new addition /deletion of location shall be updated by Sr.DSTE and notified for field supervisors by Sr.DSTE and Sr.DOM jointly.

(No. 2021/Sig/21/Safety performance dtd.10.06.2023)

(Chhatrasal Singh)

AM/Traffic

(Rahul Agarwal)

AM/Signal